न्यूज ब्रीफ

जनजातीय संस्कृति के संरक्षण का महाकुंभ, 10 जनवरी से शुरू होगा मांदर, गीत और जायके का उत्सव

जगदलपुर। बस्तर संभाग की अनूठी जनजातीय विरासत को सहेजने और उसे विश्व पटल पर लाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग ने 30 दिसंबर को एक ऐतिहासिक पहल करते हुए बस्तर पंडुम 2026 के आयोजन की विधिवत घोषणा कर दी है। राज्य शासन का यह प्रयास केवल एक प्रतियोगिता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बस्तर के 1885 ग्राम पंचायतों में रचे-बसे स्थानीय कलाकारों, शिल्पकारों और पारंपरिक वैद्यराजों को एक सशक्त मंच देने की कवायद है। ताकि बस्तर की कला, बोली, रीति-रिवाज और वन-औषधियों का संरक्षण किया जा सके। इस सांस्कृतिक महोत्सव का आगाज तीन चरणों में होगा, जिसकी शुरूआत जमीनी स्तर यानी जनपद (ब्लॉक) पंचायतों से की जाएगी। प्रथम चरण में 10 जनवरी से 20 जनवरी 2026 के बीच जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं होंगी। यहाँ से चयनित प्रतिभागी दूसरे चरण में पहुँचेंगे, जहां 24 से 29 जनवरी 2026 तक जिला स्तरीय मुकाबलों का आयोजन होगा। आयोजन का समापन भव्य संभाग स्तरीय समारोह के साथ जगदलपुर में होगा, जो 2 फरवरी से 6 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस अंतिम चरण में बस्तर संभाग के सातों जिलों से चुनकर आए 84 विजेता दल अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे।

कलेक्टर ने जारी किया निरीक्षण कैलेंडर, 9 जनवरी को लोहण्डीगुड़ा से शुरूआत

जगदलपुर। जिले में सुशासन को गांव-गांव तक पहुंचाने और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को पारदर्शी बनाने जिला प्रशासन ने एक व्यापक रोडमैप तैयार किया है। कमिश्नर बस्तर डोमन सिंह के निदेर्शों के परिपालन में कलेक्टर हरिस एस ने जिले के सभी जनपद पंचायतों के अन्तर्गत निरीक्षण की तिथियां निर्धारित करते हुए एक विस्तृत आदेश जारी किया है। इसके तहत प्रशासन अब दफ्तरों से निकलकर सीधे ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाएगा। इस अभियान की शुरूआत लोहण्डीगुड़ा जनपद पंचायत से होने जा रही है। जहां आगामी 9 जनवरी 2026 को प्रशासन का पहला पड़ाव होगा, जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से पूरे जिले को कवर किया जाएगा। कलेक्टर द्वारा जारी किए गए कैलेंडर के अनुसार, लोहण्डीगुड़ा के बाद 30 जनवरी को दरभा, 20 फरवरी को बकावण्ड, 6 मार्च को बास्तानार, 25 मार्च को जगदलपुर, 10 अप्रैल को बस्तर और अंत में 30 अप्रैल को तोकापाल जनपद पंचायत में निरीक्षण शिविर लगेगा। अधिकारी सुबह 10 बजे गांवों में पहुंचकर स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल, राशन दुकान और निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे और फिर दोपहर 2 बजे पंचायत भवन में आयोजित चैपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे। इसके दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

जिले में हुई समीक्षा बैठक : धान खरीदी प्रक्रिया में कोई लापरवाही स्वीकार नहीं : कलेक्टर हरिस एस

जगदलपुर। कलेक्टर हरिस एस ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित समय-सीमा की बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों और धान खरीदी व्यवस्था की गहन समीक्षा की। बैठक के दौरान कलेक्टर ने प्रशासनिक कसावट और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

कलेक्टर ने खरीफ विपणन वर्ष के तहत जारी धान खरीदी की समीक्षा करते हुए नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे उपार्जन केंद्रों का नियमित निरीक्षण करें। साथ ही अधिक समस्या वाले केंद्रों की निगरानी के लिए विशेष जांच दल गठित करने की बात कही। किसानों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए कलेक्टर ने बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित करने, रकबा समर्पण की स्थिति जांचने और गेटपास ऐप का अनिवार्य उपयोग करने के निर्देश भी दिए गए।

कलेक्टर ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सभी विभागीय अधिकारियों को सतर्क एप्लीकेशन में डाटा एंट्री करवाने और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का कड़ाई से पालन करने को कहा। उन्होंने कार्यालयों का संचालन ई-ऑफिस के माध्यम से करने और विभागों के पुराने निष्क्रिय बैंक खातों को तत्काल प्रभाव से एक्टिव करने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय राजमार्ग के एसडीओ को सड़क निर्माण कार्य को नियमित निरीक्षण करने के दिए निर्देश

कलेक्टर ने सड़क निर्माण कार्य का छेरीबेड़ा से नारायणपुर तक किया निरीक्षण

पीपुल्स संवाददाता ● नारायणपुर
editor@peoplessamachar.co.in



कलेक्टर नम्रता जैन ने छेरीबेड़ा से भाटपाल, बेनूर, गोहड़ा, रेमावण्ड़, नेलवाड़, देवागांव, गढ़बेंगाल और नारायणपुर तक निर्माणाधीन सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के एसडीओ को सड़क निर्माण कार्यों का सतत निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गुणवत्ता से किसी प्रकार समझौता नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सर्वप्रथम भाटपाल में चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने सड़क निर्माण प्रयोगशाला का निरीक्षण किया, जहां सड़क में उपयोग होने वाली सामग्रियों का परीक्षण किया जाता है। कलेक्टर जैन ने भाटपाल के प्लांट में कंक्रीट क्यूब का परीक्षण किया, जो सफल पाया गया। इसके साथ ही उन्होंने बैच मिक्स डामर प्लांट एवं बैच मिक्स कंक्रीट प्लांट का भी निरीक्षण किया। सड़क निर्माण प्रयोगशाला के निरीक्षण के पश्चात कलेक्टर ने भाटपाल से बेनूर तक 22 से 32 किलोमीटर क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए मौके पर मौजूद निर्माण एजेंसी को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने सड़क निर्माण के प्रोजेक्ट जनरल मैनेजर प्रेमप्रकाश सिंह से जानकारी लेते हुए कहा कि सड़क के एक साइड पहले डब्ल्यूएमएम कार्य पूर्ण कर शीघ्र डीबीएम कार्य किए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर जैन ने निर्देश देते हुए कहा कि माइंस के भारी वाहनों का संचालन रात्रि समय में किया जाए, ताकि दिन में सड़क निर्माण कार्य सुचारु रूप से संपन्न हो सकें। साथ ही प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्माण कार्य प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक नियमित रूप से कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सड़क निर्माण कार्य किसी भी स्थिति में मार्च 2026 के प्रथम सप्ताह तक पूर्ण किया जाए।

3 किलोमीटर लंबे नए बायपास सड़क का भी निरीक्षण किया

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कहा कि सड़क निर्माण में प्रयुक्त सामग्री उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी नही होगी और वाहन आसानी से संचालन हो सकें। राष्ट्रीय राजमार्ग 38 के अंतर्गत नेलवाड़ पहुंचकर सड़क निर्माण कार्य का कंप्रेशन टेस्ट किया गया, जिसमें 9.59 कंप्रेशन प्रतिशत दर्ज हुआ जो सफल रहा। इस अवसर पर कलेक्टर ने सड़क निर्माण में पेड़ कटाई की जानकारी ली। नेलवाड़ में सड़क निर्माण परीक्षण के पश्चात कलेक्टर नम्रता जैन ने गढ़बेंगाल से लगभग 3 किमी लंबे नए बायपास सड़क का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने पहाड़ी मंदिर के पास निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं।

पारदर्शी धान खरीदी से किसान रंजीत डहरिया को मिला मेहनत का पूरा मूल्य

कोरबा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू की गई सर्वाधिक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था आज किसानों के लिए भरोसे का मजबूत आधार बन चुकी है। धान उपार्जन केंद्रों में की जा रही पारदर्शी एवं त्वरित खरीदी व्यवस्था ने कृषकों के जीवन को सशक्त बनाया है। कोरबा विकासखण्ड के ग्राम गोढ़ी के निवासी किसान रंजीत डहरिया पिता संतकुमार ने इस योजना का लाभ उठाते हुए अपने परिश्रम का उचित मूल्य प्राप्त किया है। डहरिया लगभग 6 एकड़ कृषि भूमि पर धान की खेती करते हैं। इस वर्ष उन्होंने सहकारी समिति नकटीखार में 102 क्विंटल धान का विक्रय किया। धान विक्रय के दौरान समिति में तौल, पंजीयन एवं भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह सरल, पारदर्शी और समयबद्ध रही, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। सरकार द्वारा घोषित सर्वाधिक समर्थन मूल्य पर धान बिकने तथा समय पर भुगतान मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। प्राप्त राशि का उपयोग किया।

सीपीआई ने फेडरेशन के सभी 11 सूत्रीय मांगों को जायज बताया

सीपीआई ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की मांगों का किया समर्थन

पीपुल्स संवाददाता ● कोण्डागांव
editor@peoplessamachar.co.in



छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की मांगों का सीपीआई द्वारा आंदोलन स्थल पर पहुंचकर मंच से समर्थन किया गया। कोण्डागांव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिला परिषद् से राज्य सचिव मंडल सदस्य कामरेड तिलक, जिला सचिव कामरेड शैलेश, सहायक सचिव कामरेड दिनेश, अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी महासभा कामरेड मुकेश, सदस्य कामरेड रामचंद, सोनसिंह एवं लक्ष्मण ने 30 दिसम्बर को चौपाटी मैदान के तीन दिवसीय हड़ताल/आंदोलन स्थल पर पहुंचकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के सभी 11 सूत्रीय मांगों को जायज बताते हुए मंच से केंद्र एवं छत्तीसगढ़ षासन से अपील किया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के सभी 11 सूत्रीय मांगों को कर्मचारी-अधिकारी सहित जनहित को ध्यान में रखकर जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इस दौरान कामरेड तिलक ने आंदोलन स्थल पर मौजुद कोण्डागांव जिले के अपनी मांगों को पूरा करने के लिए संघर्षरत आंदोलनकारियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 120 संगठनों से जुड़े कर्मचारी-अधिकारियों का एकजुट होकर एक मंच पर तीन दिवसीय हड़ताल पर बैठना ही शासन को झुकने के लिए मजबूर करने के लिए काफी है।

आप सभी संघर्शषील साथी ऐसे ही एकजुट रहकर अपनी मांगों पर अड़िग रहें, केंद्र और राज्य सरकार अवष्य आपकी सभी मांगों को पूरा करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार के उदासीन रवैया से त्रस्त होकर ही कर्मचारी-अधिकारियों को आंदोलन का यह कदम उठाना पड़ रहा है। आपके एकजुट होकर तीन दिवसीय आंदोलन करने पर सभी विभागों के कामकाज ठप्प हो चुके हैं। आंदोलन से आमजनों को हो रही परेशानी के लिए सरकार ही पूरी तरह से जिम्मेदार है, यदि सरकारों ने कर्मचारी-अधिकारियों से किए वादों को समय पर पुरा कर दिया होता तो न आंदोलन की नौबत आती और न आमजनों को बेवजह परेशान होना पड़ता। सीपीआई केंद्र व राज्य सरकार से पुनः पुरजोर मांग करती है कि निश्चितकालीन 3 दिवसीय आंदोलन को संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के 11 सूत्रीय जायज मांगों को तत्काल पूर्ण किया जाए।

नुवा बाट से बस्तर में बदलाव की नई इबारत

चित्रकोट और तीरथगढ़ जलप्रपात के सौंदर्य में खोए पुनर्वासित

पीपुल्स संवाददाता ● जगदलपुर
editor@peoplessamachar.co.in



बस्तर के घने जंगलों और बीहड़ों की जिस खामोशी में माओवादियों के भीतर कल तक सुरक्षा बलों के कदमों की आहट का खौफ गूंजता था, आज वहां जीवन का एक नया और सुकून भरा अध्याय लिखा जा रहा है। जिन जंगलों, पहाड़ों और झरनों के पास छुपकर माओवादी अपनी जिंदगी बिताते थे, खौफ के साये में वे कभी प्रकृति की इस अनुपम सुंदरता को देख नहीं सके। लेकिन अब राज्य शासन की पहल से हालात बदल रहे हैं। इसी बदलाव की बानगी तब देखने को मिली जब हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटे बीजापुर के 30 पुनर्वासित युवाओं ने बस्तर के प्रसिद्ध चित्रकोट और तीरथगढ़ जलप्रपात का भ्रमण किया। कभी इन्हीं जंगलों और चट्टानों की ओट में ये युवा पुलिस और सुरक्षा बलों के आने की दहशत में दुबक कर रातें काटते थे और हर पल जान का जोखिम बना रहता था। किंतु नुवा बाट (नई राह) अभियान ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी है। चित्रकोट और तीरथगढ़ भ्रमण के दौरान वही पुनर्वासित युवा निश्चिंत होकर, बिना किसी डर के जलप्रपात की गिरती धाराओं को निहार रहे थे। उनके चेहरों पर अब सुरक्षा बलों का खौफ नहीं, बल्कि एक पर्यटक का कौतूहल और अपार शांति दिखाई दे रही थी। जिला प्रशासन द्वारा की गई इस अनूठी पहल का मकसद इन युवाओं को न केवल मानसिक तनाव और अतीत की परछाइयों से दूर ले जाना है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में सम्मानजनक स्थान दिलाना भी है। बीजापुर के इन 30 युवाओं सहित कुल 60 पुनर्वासित युवा वर्तमान में नुवा बाट कार्यक्रम के तहत पुनर्वास का लाभ ले रहे हैं। ये सभी अब हथियार छोड़कर अपने हाथों में हुनर थाम रहे हैं ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके। 30 युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से राजमिस्त्री का प्रशिक्षण मिला।

हथियार छोड़ हाथों ने थामा हुनर, बने सबल

इस पूरे बदलाव को और अधिक आत्मीय बनाने तथा इन युवाओं को मुख्यधारा में सहज महसूस कराने के लिए बस्तर जिला प्रशासन ने एक संवेदनशील पहल भी की है। प्रशासन द्वारा नुवा बाट में प्रशिक्षण ले रहे इन सभी पुनर्वासित युवाओं को वेलकम किट प्रदान किया गया। यह किट महज एक सहायता नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि समाज ने उन्हें उनके अतीत को भुलाकर खुले दिल से अपना लिया है।

सोनारू कश्यप और सुकलो बघेल ने समर्थन मूल्य पर धान विक्रय कर खेती-किसानी को दिया बढ़ावा

बना रहे हैं नया मकान, रबी सीजन में खेती से होगी अतिरिक्त आय

पीपुल्स संवाददाता ● जगदलपुर
editor@peoplessamachar.co.in



शासन की समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन नीति से अन्नदाताओं को अच्छा सम्बल मिल रहा है और वे धान विक्रय की राशि से जहां खेती-किसानी को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही घर-परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए जुटे हैं। तोकापाल विकासखण्ड अंतर्गत मरकापाल निवासी किसान सोनारू कश्यप और छापर भानपुरी के सुकलो बघेल बताते हैं कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से उन्हें बड़ी मदद मिल रही है और धान की अच्छी पैदावार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिससे उन्हें ज्यादा मुनाफा हो सके। छापर भानपुरी धान उपार्जन केन्द्र अपनी उपज बेचने आए सोनारू कश्यप ने बताया कि करीब 10 एकड़ कृषि भूमि में से 8 एकड़ में धान की खेती करते हैं, इस वर्ष 132 क्विंटल धान विक्रय कर रहे हैं, जिससे करीब एक लाख रुपए फसल ऋण लिंकिंग में देंगे। उन्होंने गत वर्ष के धान एवं मक्का विक्रय की राशि से शुरू किए 7 कमरे के पक्का मकान को इस साल पूरा करने की बात कही। वहीं रबी सीजन में 8 एकड़ रकबा में मक्का की पैदावार लेकर अतिरिक्त आय होने पर घर-परिवार की जरूरतें पूरा करेंगे। इसी तरह छापर भानपुरी के सुकलो बघेल ने बताया कि लगभग 12 एकड़ कृषि भूमि में से 10 एकड़ रकबा पर धान की खेती करते हैं, अभी 116 क्विंटल धान विक्रय के लिए लाए हैं। जिससे 2 लाख रुपए फसल ऋण भी लिंकिंग में कटौती होगी।

सहायिका ने बताया, नदी के पानी से बन रहा है बच्चों का पोषण आहार

मरकानार आंगनबाड़ी केंद्र में पानी और शौचालय तक नहीं

पीपुल्स संवाददाता ● दंतेवाड़ा
editor@peoplessamachar.co.in

दंतेवाड़ा जिले में बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के साथ पोषण आहार का दावा करने वाला महिला बाल विकास आंगनबाड़ी केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में नाकाम साबित हो रहा है। हाल ये है कि जिले में कुल एक हजार से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। जिसमें कई आंगनबाड़ी पानी, बिजली तो कहीं शौचालय तक की सुविधा तक नहीं हैं। इसमें पेयजल व्यवस्था की खासी किल्लत है, कार्यकर्ता इधर-उधर से पानी लाकर काम चला रही हैं। इससे आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आने वाले बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका सीधा असर केंद्र में आने वाले बच्चों पर पड़ता हैं दंतेवाड़ा जिले के ग्राम पंचायत मलोसनार के मरकानार के आंगनबाड़ी केंद्र में दंतेवाड़ा जिले के महिला बाल विकास की पोषण आहार की दावा करने वाले विभाग की पोल खोल रहा है। जहां बच्चों की पोषण आहार बनाने के लिए पानी की व्यवस्था नही है शैचालय तक नहीं है और बच्चों के सुरक्षा के लिए नही बाउंड्री वाल तक नहीं है जब पत्रकार के द्वरा मलोसनार मरकानार आंगनबाड़ी केंद्र पहुचा तो आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका मरकानार केंद्र में पानी शौचालय और बाउंड्री नही होने से भारी समस्या उत्पान होता है।आस पास जंगल नादी नाला है जिससे कभी भी हादसा होने की डर रहता है।

बालोद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य सफलतापूर्वक जारी

बालोद। राज्य शासन के विशेष प्राथमिकता वाले समर्थन मूल्य पर धान खरीदी योजना के अंतर्गत बालोद जिले में धान खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी का कार्य सफलतापूर्वक जारी है। जिसके अंतर्गत जिले में अब तक 79 हजार 613 किसानों से 35 लाख 45 हजार 750 क्विंटल से अधिक धान की खरीदी कर 842 करोड़ 02 लाख 50 हजार 38 रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है। उल्लेखनीय है।

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग
कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर (छ.ग.)

:: ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना ::
eProcurement Portal: https://eproc.cgstate.gov.in
:: प्रथम आमंत्रण ::

निम्नलिखित कार्यो के लिए दिनांक 19.01.2026, (17:30) तक ऑन लाईन निविदाए आमंत्रित की जाती है :–

सिस्टम निविदा क्र./ निविदा सूचना क्र./दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत
सि.नि.क्र. 182410, नि.सू.क्र. 09/ व.ले.नि./2025–26 दिनांक 29.12.2025	जशपुर जिले के संभागीय कार्यालय, जल संसाधन संभाग जशपुर के मरम्मत कार्य एवं जीर्णोद्धार कार्य तथा अनुविभागीय कार्यालय भवन के जीर्णोद्धार एवं बाउण्ड्रीवॉल, 02 नग निरीक्षण कुटीर का निर्माण कार्य ।	रू. 274.96 लाख

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई–प्रोक्योरमेंट वेब साइट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 05.01.2026, समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड़ किये जा सकते है ।

1. निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई–प्रोक्योरमेंट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित/पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।
2. निविदा की अनुमानित लागत एस. ओ. आर. पी.डब्ल्यू.डी. दिनांक 01.01.2015 (संशोधित 05.05.2025) के अनुसार है।

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग, जशपुर (छ.ग.)
कृते मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार,
जल संसाधन विभाग, अंबिकापुर (छ.ग.)

252605750/8

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
अधिसूचना

अधिसूचना संख्या 126/2025, दिनांक 29.12.2025

उप मंडल रेलवे चिकित्सालय, बी एम वाय एवं हेल्थ यूनिट, भिलाई में अंशकालिक लेडी डॉक्टर की एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर भर्ती हेतु प्रवेश साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। जिसका संक्षेप में विवरण निम्नांकित है-

साक्षात्कार का स्थान	दिनांक एवं समय	पद	हेल्थ यूनिट/ चिकित्सालय	कार्य की अवधि	पद संख्या	निर्धारित पारिश्रमिक
मंडल रेलवे चिकित्सालय, रायपुर	30.01.2026 (शुक्रवार) 10.30 बजे से	अंशकालिक लेडी डॉक्टर	उप मंडल रेलवे चिकित्सालय, रायपुर	04 घंटे प्रति दिन/ सप्ताह में 06 दिन	01	36,900/-
			हेल्थ यूनिट/ भिलाई		01	

इस अधिसूचना से सर्बधित विस्तृत जानकारी के लिए कृपया इस रेलवे की वेबसाइट www.secr.indianrailways.gov.in→Recruitment/News/Press Release→ Recruitment →Raipur Division में लाग ऑन करें।

मंडल रेल प्रबंधक/कार्मिक
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर

पीआर/आर/सी.डीपीओ/एएन/275

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट-IV-A – अचल संपत्ति/संपत्तियों की ई-नीलामी-सार्वजनिक बिक्री सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी-बिक्री सूचना)

पंजीकृत कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001, PH : 011-23357171, 23357172, 23705414, Website : www.pnbhousing.com

बी.ओ. रायपुर : तीसरी मंजिल, ऑफिस नंबर 301, 28/620, नीलवे आइकॉनिक, अनाम, शंकर नगर, नया रायपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़

एतद्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कॉलम संख्या-ए में दर्शाए गए उधारकर्ता(कों) एवं गारंटीकर्ता(कों) को सूचित किया जाता है कि कॉलम संख्या-डी में वर्णित नीचे वर्णित अचल संपत्ति (संपत्तियां) जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा मे. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा (कॉलम संख्या-सी में वर्णित अनुसार) ले लिया गया है, उसे नीचे दिए गए विवरण के अनुसार "जहां है, जैसा है और जो भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। एतद्वारा संबंधित उधारकर्ता(कों)/बंधककर्ता(कों)/कानूनी उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि (ज्ञात या अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(कों), उधारकर्ता(कों)/बंधककर्ता(कों) (अब मृत) के समनुदेशिती(कों) को, जैसा भी मामला हो, नियम-8(6) एवं धारा 9 के अंतर्गत कॉलम संख्या-ए में दर्शाए गए अनुसार, सूचित किया जाता है। प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के अनुसार, आज की तिथि तक संशोधित। बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया मे. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट www.pnbhousing.com पर दिए गए लिंक का संदर्भ लें।

ऋण संख्या/ऋणकर्ता का नाम/सह-ऋणकर्ता/ जमानतदार (रों)/कानूनी वारिस (A)	मांग राशि एवं दिनांक (B)	कब्जे का प्रकार (C)	बंधक संपत्ति का विवरण (D)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (E)	ईएमडी (10% आरपी) (F)	नीलामी प्रस्ताव की अंतिम दिनांक (G)	नीलामी वृद्धि दर (H)	निरीक्षण दिनांक एवं समय (I)	नीलामी समय एवं दिनांक (J)	ज्ञात भार/अदालती मामला यदि कोई हो (K)
HOU/RAI/0319/661392, अभिनव शांडिल्य/अनुराग शांडिल्य/ अनिता शांडिल्य बी.ओ. : रायपुर	रू. 3876574.75 & 13-12-2024	सांकेतिक कब्जा	फ्लैट नंबर बी 302, तीसरी मंजिल, श्री करसन हेरिटेज, पीएच नंबर 39/41, कुशा भाऊ ठाकरे वार्ड नंबर 26, मौजा दलसाल सिवनी, छत्तीसगढ़-492001, रायपुर, भारत	रू. 35,67,000	रू. 3,56,700	15/01/ 2026	रू. 10000	13/01/2026 12:00pm to 04:00pm	16/01/2026 2PM to 03:00PM	ज्ञात नहीं

"साथ में लागू 18% प्रति वर्ष के अतिरिक्त ब्याज के साथ, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि, भुगतान की तिथि और/या उसकी वसूली तक किए गए।" सर्वश्रेष्ठ करने के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के ज्ञान और जानकारी के अनुसार, ऊपर उल्लिखित अचल/कॉलम संख्या-के में प्रकट की गई संपत्तियों को छोड़कर सुरक्षित संपत्तियां। इसके अलावा, इस तरह के भार की सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपने स्तर पर पूरा/भुगतान किया जाएगा। भावी क्रेता (ओं)/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे स्वतंत्र रूप से उल्लेखित भारों की सत्यता का पता लगाएं

(1.) आज की तारीख तक, पीएनबीएचएफएल, पीएनबीएचएफएल के अधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने, अलग करने और/या निपटाने से रोकने और/या अदालती निषेधाज्ञा का कोई आदेश नहीं है और स्थिति का उल्लेख कॉलम संख्या-के में किया गया है। (2.) भावी क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पक्ष स्वतंत्र रूप से कॉलम संख्या-के में बताई गई कार्यवाही/पारित आदेश आदि में दलीलों का निरीक्षण कर सकते हैं, यदि कोई हो। इसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उससे संबंधित शीर्षक के दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है, लेकिन यह उस तक ही सीमित नहीं है और निविदा/बोली आवेदन पत्र जमा करने या प्रस्ताव देने से पहले सभी मामलों में खुद को संतुष्ट कर लें। बोलीदाता(ओं) को बोली फॉर्म के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। (3.) कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/क्रेता कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (बयाना राशि सहित) उसी दिन या अगले कार्य दिवस से पहले जमा करने के लिए बाध्य है। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त होने के बाद ही बोलीदाता(ओं) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। बिक्री की शेष 75% राशि बिक्री पुष्टिकरण पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा जमा की जानी चाहिए और ऐसी जमा राशि के न जमा करने पर, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री पुष्टिकरण पत्र में उल्लिखित 15 दिनों की अनिवार्य अवधि की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर बिक्री विचार राशि के आंशिक भुगतान को जब्त कर लेगा और संपत्ति/सुरक्षित परिसंपत्ति को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फिर से बेचा जाएगा। (4.) मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री करने में प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करेगी, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट संख्या 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा 122003 में है। वेबसाइट - www.bankeauctions.com संपत्ति या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण के लिए, आपको विवेक लोधा (टोल फ्री नंबर -1800 120 8800, ई-मेल: auction@pnbhousing.com के साथ समन्वय करना होगा, जो पीएनबीएचएफएल के अधिकृत व्यक्ति हैं या www.pnbhousing.com देखें।

स्थान : रायपुर, दिनांक :31.12.2025

हस्ते/-अधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

कलेक्टर ने समय-सीमा की बैठक में की विकास कार्यों की समीक्षा

धान खरीदी में गड़बड़ी पर कलेक्टर ने दिए निर्देश, 50 बोरों की रैंडम जांच और क्रॉप कटिंग से जारी होगा टोकन

पीपुल्स संवाददाता ● जगदलपुर
editor@peoplessamachar.co.in



कलेक्टर हरिस एस ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित समय-सीमा की बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों और धान खरीदी व्यवस्था की गहन समीक्षा की। बैठक के दौरान कलेक्टर ने प्रशासनिक कसावट और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने खरीफ विपणन वर्ष के तहत जारी धान खरीदी की समीक्षा करते हुए नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे उपार्जन केंद्रों का नियमित निरीक्षण करें। विशेष रूप से दरभा क्षेत्र में हर सप्ताह निरीक्षण सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि व्यवस्थाएं सुचारू रहें। केंद्रों में धान चोरी की आशंका को पूरी तरह समाप्त करने के लिए उन्होंने आकस्मिक निरीक्षण करने और रैंडम आधार पर 50 बोरों का वजन जांचने का आदेश दिया। साथ ही अधिक समस्या वाले केंद्रों की निगरानी के लिए विशेष जांच दल गठित करने की बात कही। किसानों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए कलेक्ट